

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर

प्रकरण संख्या-

347

बनाम

गोपाल कुमार

254/2004

दिनांक

आज्ञा विस्तृत रूप से

19/12/2004

फर्मनी मूल तह में आपका जो पत्र
 का पत्र नेने पर तहत की गिरी 2014/2004
 हकपदग नारा उपस्थित है 2014/2004
 राजीनामा के आधार पर ~~आज्ञा~~
 जा होगै है इस 1-2 पत्र का ~~आज्ञा~~
 नलापे जाने का कोई कोलिन नही है
 से स्वरिज किया जाना है परन्तु नही
 अगल नीगर ही कर से काम से वापस
 शामिल करारदी

उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर, सांगानेर (सांगानेर)